Attention
MR Arvind Yadav
011-23714892

झारखण्ड सरकार
उर्जा विभाग ।
अधिसूचना

अधि0सू0सं0—2476—/राँची, दिनांक—13/12/2005

विद्युत अधिनियम 2003 (केन्द्रीय अधिनियम 36,2003) की धारा 14 के प्रन्तुक में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड सरकार, झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम 2001 (झा0 अधिनियम 2001) की धारा 3 के तहत अधिसूचित एवं अधिघोषित पंचायत क्षेत्र , विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 के प्रायोजनों हेतु ग्रामीण क्षेत्र रहेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश सें ।

ह0
उप सचिव,

ज्ञापांक———————— राँची, दिनांक———————— 2005

प्रतिलिपि— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को राजकीय गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

ह0
उप सचिव,

ज्ञापांक—2477— राँची , दिनांक—13/12/2005

प्रतिलिपिः

1 सचिव, विद्युत मंत्रालय,भारत सरकार, नई दिल्ली ।
2 मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड , राँची ।
3 अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली ।
4 अध्यक्ष—सह— प्रबंध निदेशक, आरईसी, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
5 अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग, राँची ।
6 सचिव, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड, राँची ।
7 सचिव, डी0भी0सी0, डीभीसी टावर, वीआईपी रोड़, कोलकता ।
8 श्री एस0 कृष्णामुर्ति , महाप्रबंधक, एनटीपीसी, नोएडा, यूपी एवं
9 संयुक्त मुख्य परियोजना प्रबंधक, आरईसी डोरण्डा, राँची

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

उप सचिव,
उर्जा विभाग, झारखण्ड ।